रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 1992/अग्रहायण 20, 1914
No. 786] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1992/AGRAHAYANA 20, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1992

का.आ. 908(अ):—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4, खण्ड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु

(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन बोर्ड में निहित सभी शक्तियों और कार्यों को केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समिति को प्रत्यायोजित करता है :

1. सचिव (पर्यावरण), चण्डीगढ़ प्रशासन	अध्यक्ष
2. निदेशक (पर्यावरण), चण्डीगढ़ प्रशासन	सदस्य
3. प्रभागीय वन अधिकारी, चण्डीगढ़ प्रशासन	सदस्य
4 वैज्ञानिक 'एस डी' पर्यावरण विभाग केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़	सदस्य सचिव

यह अधिसूचना दिनांक 15-03-91 की अधिसूचना संख्या का. आ. 199(ई) की बरखास्तगी के संबंध में है जो पहले जारी की गई थी और यह तत्काल प्रभावी हो जायेगी।

[फाइल सं बी-12012/90/सहा. सचिव/92]

अरूणोदय भट्टाचार्य, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1992

S.O. 908(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4, Clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Central Pollution Control Board delegates all the powers vested in the said Board under the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, in respect of the Union Territory of Chandigarh to the undermentioned committee specified by the Central Government :—

1.	Secretary (Environment), Chandigarh Administration.	Chairman
2.	Director (Environment), Chandigarh Administration.	Member
3.	Divisional Forest Officer, Chandigarh Administration	Member

4. Scientist 'SD' Member-Secretary
Department of Environment,
U.T. of Chandigarh.

This notification is in supersession of the notification No. S.O. 199(E) dated 15-3-1991 issued earlier in this context and is to come into force from immediate effect.

[File No. B-12012/90/AS/92]
A. BHATTACHARYA, Chairman,
(Central Pollution Control Board)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992